न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

अतिक्रमण अपील वाद संख्या– 02/2013

मो0 मिनतुल्लाह वनाम राज्य एवं अन्य

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत अपील अपीलार्थी मिनतुल्लाह के द्वारा अंचल अधिकारी, नौहट्टा के आदेश दिनांक 08.02.2013 के विरूद्ध दाखिल है। 11.3.17

अपीलार्थी का कहना है कि अंचलाधिकारी, नौहट्टा के द्वारा दिनांक 18.02.2013 को पारित आदेश में अंकित था कि प्रतिवादी नंबर– 2 जुही खातुन के द्वारा अंचलाधिकारी नौहट्टा को एक आवेदन अपीलार्थी द्वारा सड़क के जमीन अतिक्रमण की बात लिखी हुई थी, जिस आधार पर अंचलाधिकारी बिना कोई कारण पृच्छा किये हुए अपीलार्थी को बिना किसी प्रकार की सूचना दिए हुए अपना आदेश दिनांक– 18.02.2013 को यह कहते हुए दिये कि अतिक्रमण वाले सड़क के जमीन को अतिक्रमण मुक्त अपीलार्थी स्वयं करे अन्यथा प्रशासन द्वारा अतिक्रमण को तोड़कर हटा दिया जायेगा।

अपीलार्थी का आगे कथन है कि सड़क का अतिक्रमण अपीलार्थी द्वारा विल्कुल ही नहीं किया गया है चाहे अतिक्रमण किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जाता तो इसकी जॉचो उपरान्त अतिक्रमकारियों को नोटिश के द्वारा आदेश करते हुए खाली करने का निर्धारित समय के साथ निर्देश दिया जाना विधि सम्मत होगा, किन्तु अंचलाधिकारी अपीलार्थी के उपर थोप कर नैर्गिक न्याय का उल्लंधन किये है।

अपीलार्थी का आगे कथन है कि प्रतिवादी संख्या– 2 अपीलार्थी के जमीन को जबरन हथियार एवं कुख्यात अपराध कर्मी के मदद से कब्जा कर घर बनायी हुए है, जिसे खाली करवाने के लिए लगभग सभी संबंधित पदाधिकारी को लिखित सूचना अवैध कब्जा हटाने के लिए दिया गया किन्तु प्रतिवादी संख्या– 02 के द्वारा अभी भी कब्जा बरकरार है। प्रतिवादी संख्या– 2 अपीलार्थी को कई बार बलात्कार एवं अन्य संगीन अपराधिक मुकदमा में फसा कर तबाह कर चुकी है।

अपीलार्थी का आगे कथन है कि जमीन का अतिक्रमण अपीलार्थी द्वारा नहीं वल्कि प्रतिवादी नंबर–2 के द्वारा किया गया है। क्योंकि प्रतिवादी नंबर– 2 को एक धूर जमीन भी वहॉ नहीं है जिस कारण अपीलार्थी के जमीन के अलावा सरकारी जमीन को भी कब्जा की हुई है। अपीलार्थी अपने लिखित बहस के द्वारा कथन किये है बिहार पब्लिक लेंड इन्क्रोच मेंट एक्ट में ऐसा प्रावधान है अगर कोई व्यक्ति सरकारी जमीन का अतिक्रमण करना है तो उसे उस संबंध में सूचना निर्गत की जाय। अमीन से जमीन का माप करायी जाय। ग्रामीणों का ब्यान अंकित किया जाय। उसके बाद संबंध पक्ष को सूचना निर्गत किया जाय। सभी प्रक्रियाओं के उपरान्त ही कोई आदेश पारित किया जाय। अंचलाधिकारी नौहट्टा ने बिना सभी प्रक्रियाओं को अपनाये हुए अपीलार्थी को अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित कर दिया गया।

अपीलार्थी अपने लिखित बहस में आगे कथन किये है। अपीलार्थी को कोशी पुर्नवास योजना के तहत जमीन दी गई है। जिस जमीन पर अपीलार्थी अपना घर बनाकर रह रहे है। अन्ततः अपीलार्थी अंचलाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.02.2013 बिहार पब्लिक लैंड इन्क्रोचमेंट एक्ट प्रावधानों के विपरीत है। अतः पारित आदेश खारीज करने का याचना की गयी है। प्रतिपक्षी संख्या– 2 का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 09.10.2013 को श्रीमान् के न्यायालय में दाखिल किया गया जिसमें अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी दिनांक 18.02.2013 को एक लिखित आदेश प्राप्त हुआ जिसमें अंकित था प्रतिवादी नंबर– 2 जुही खातुन अंचलाधिकारी नौहट्टा को एक आवेदन अपीलार्थी द्वारा सड़क के जमीन अतिक्रमण करने की बात लिखी हुई थी, उसी आधार पर अंचलाधिकारी नौहट्टा द्वारा अतिक्रमण हटाने का आदेश बिना सूचना द्वारा दिया गया। पुनः यह भी कथन है कि बिना कोई सत्यता की जॉच पड़ताल किये हुए उपरोक्त आदेश गलत है। अपीलार्थी का पुनः कहना है कि अपीलार्थी को जमीन को प्रतिवादी नंबर– 2 ही सड़क की जमीन को कब्जा किये हुए है। अपीलार्थी का आगे कथन है कि अंचलाधिकारी नौहट्टा के आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा के न्यायालय में एक विविध वाद 42/13 दाखिल किया गया है, लेकिन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा उक्त आवेदन को क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण

11.3.17

खारीज कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा अपना अनुतोष अपील के द्वारा दाखिल किया गया है। प्रतिपक्षी संख्या– 2 का आगे कथन है कि एक आवेदन पत्र अंचलाधिकारी नौहट्टा के न्यायालय में दाखिल किया गया कि अपीलार्थी द्वारा आर०ई०ओ० के सड़क संख्या 502 जो कोशी पुनर्वास की सड़क है। उक्त सड़क पर अपीलार्थी एक आटा चक्की मशीन रखकर तथा इस्तेमाल कर रहे है, जिससे सड़क के बगल में स्थित प्रतिवादी संख्या– 2 का मकान क्षतिग्रस्त हाने के कगार पर है, जिससे प्रतिवादी नंबर– 2 एवं अन्य लोगों का आना जाना बाधित है, जो अंचलाधिकारी नौहट्टा के अतिक्रमण वाद संख्या– 15/5–6 के आदेश फलक 16.06.2005 में अंकित है तथा उक्त आदेश फलक के आलोक में अंचाधिकारी, नौहट्टा द्वारा अंचल निरीक्षक एवं हल्का कर्मचारी से जॉच कर जॉच प्रतिवेदन की माँग की गयी। उसी आदेश के आलोक में कोशी योजना सुपौल के अमीन द्वारा उक्त अतिक्रमण की जॉच की गई। जॉचोपरान्त यह पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा आर०ई०ओ० सड़क जो कोशी योचना के अन्तर्गत पुनर्वास के आम लोगों के लिए बनाया गया था उस पर वास्तविक रूप से अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण किया गया है। प्रतिपक्षी जूही खातुन का आगे कथन है कि आदेश फलक दिनांक 11.07.2005 को देखने से स्पष्ट होता है कि आर०ई०ओ० सड़क संख्या– 502 पर अपीलार्थी द्वारा सरकारी सड़क का अतिक्रमण किए हुए है, जिसे हटाया जाय।

उक्त आदेश के बावजूद अतिक्रमण हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई तब प्रतिपक्षी संख्या– 2 के द्वारा आयुक्त महोदय के जनता दरवार में एक आवेदन पत्र दाखिल किया, जिसके आधार पर श्रीमान् का निर्देश दिनांक 18.02.2011 एवं आयुक्त महोदय का निदेश दिनांक– 19.10.2011 के आलोक में अंचाधिकारी, नौहट्टा को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। अंचाधिकारी, नौहट्टा द्वारा समुचित कार्रवाई हेतु पुर्नवास पदाधिकारी, सुपौल से अनुरोध किया गया कि फेकराही पर सवन्ना में स्थित पुर्नवास की जमीन को अंचल अमीन द्वारा चिन्हित करवाने की कृपा करें, जिससे स्पष्ट हो सके कि अपीलार्थी द्वारा किस भूमि का अतिक्रमण किया गया। अंचाधिकारी, नौहट्टा स्वयं एवं अपने अधीनस्थ कर्मचारी अंचल निरीक्षक की देख–रेख में अंचल अमीन से आर0ई0ओ0 के सड़क की प्रश्नगत स्थान पर मापी के बाद एंव पुर्नवास पदाधिकारी सुपौल द्वारा अनुशंसा के वाद अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण को सही पाया तथा अपीलार्थी अतिक्रमण लोक भूमि से हटनो का नोटिस निर्गत किया। अपीलार्थी द्वारा जान बुझकर कपटपूर्ण ढ़ंग से अपील वाद दायर श्रीमान् के न्यायालय में दाखिल किया गया है जो खारीज योग्य है। प्रस्तुत वाद में अतिक्रमण किये गये भूमि का कही भी जिक्र नहीं किया गया। इस आधार पर अपील खारीज योग्य है। अपीलार्थी द्वारा अंचाधिकारी, नौहट्टा का आदेश दिनांक 11.07.2005 जो अंतिम आदेश के विरूद्ध कोई भी अपील वाद दाखिल नहीं किया गया है। अंततः प्रतिपक्षी द्वारा प्रस्तुत अपील वाद खारीज करने की याचना की गयी है।

उभय पक्षों को सुना, अभिलेख तथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। अंचलाधिकारी, नौहट्टा को निदेश दिया जाता है कि सभी संबंधित पक्षों का पक्ष सुनकर एवं स्थलीय जॉचोपरान्त अतिक्रमण वाद में आगे की कार्रवाई करेंगे।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

11.3.17
समाहर्त्ता,
सहरसा।

11.3.17
समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 452-2 / विधि, सहरसा, दिनांक– 11-03-2017.

प्रतिलिपि– निम्न न्यायालय अभिलेख मूल में संलग्न करते हुए अंचल अधिकारी, नौहट्टा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि-शाखा, सहरसा।
11.3.17